

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

[हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
और पारदर्शिता, अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम
2015 के तहत]

(अंतिम रिपोर्ट की स्पष्ट, संक्षिप्त और सुगम प्रति)



अध्ययन कर्ता



प्लान फाउंडेशन

(सामाजिक प्रभाव आकलन सहयोगी एवं प्रैक्टिशनर

ब्राडवे एन्क्लेव, संजौली शिमला (हि. प्र .)-171006

फोन: 0177-2841204, 9129057008, 7827826665

www.planfoundation.org

को प्रस्तुत

सामाजिक प्रभाव निरधारण इकाई (SIAU)

HIPA, फेयरलान्ज शिमला (हि.प्र.)-171012

नवम्बर, 2016



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन I

विषयवस्तु

1. कार्यकारी सारांश	3
1.1 परियोजना और लोक प्रयोजन.....	3
1.2 अवस्तिथि / स्थान.....	3
1.3 भूमि अर्जन का आकार और विशेषता	3
1.4 अनुकल्पों /विकल्पों पर विचार	4
1.5 सामाजिक प्रभाव / समाघात	4
1.6 सामाजिक प्रभावों/समघातों के शमन करने के उपाय.....	6
1.7 सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण	9
2 लागत व मुनाफे का विश्लेषण व अर्जन पर सिफारिशें.....	10
2.1 अंतिम निष्कर्ष.....	10
3. सामाजिक प्रभाव/ समाघात प्रबंध योजना	16
3.1 सामाजिक प्रभाव / समाघात शमन के लिए दृष्टिकोण	16
3.2 समाघात/ प्रभावों को टालने शमन करने व प्रतिपूर्ति के लिए कदम	16
3.3 परियोजना प्रस्ताव में रिक्वायरिंग बॉडी की ओर से बताए गए कदम	18
3.4 सांस्थनिक ढांचा व मुख्य व्यक्ति	18

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन I

तालिकाओं की सूचि

तालिका 1: परियोजना के विभिन्न चरणों पर सामाजिक प्रभाव आकलन	4
तालिका 2: विभिन्न संभावित सामाजिक प्रभावों/समाघातों का विश्लेषण और उनके शमन हेतु प्रस्तावित उपाय	7
तालिका 3: परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव	9

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन I

1. कार्यकारी सारांश

1.1 परियोजना और लोक प्रयोजन

हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से बैंटनी कैसल एस्टेट उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला (अर्बन), जिला शिमला की भूमि 3874-39 वर्ग मीटर (5-3) बीघा है जो खसरा नंबर 886, 887, 888,889, 890, 891, 892,893, 894, 895, 896, 897 और 898 में हैं। के अर्जन का प्रस्ताव रखा है जहाँ आम जनता के लिए एक शहरी संग्रहालय स्थापित किया जाएगा और जिससे राज्य में कला व पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर संपत्तियों के संरक्षण व रखरखाव में मदद करेगा और समाज में जागरूकता पैदा करने में सहायता करेगा।

1.2 अवस्थिति / स्थान

इस उद्देश्य हेतु भूमि जोकि बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला (अर्बन), जिला शिमला में स्थित है का चयन किया गया है। यह कैसल उतरी देशांतर में 39° 06' 22.3" और 73° 10' 10.31" पूर्वी देशांतर में स्थित है। यह कोर माल रोड़ पर स्थित प्रमुख संपत्तियों में से एक है। यह स्कैंडल प्वाइंट से काली बाड़ी रोड़ पर स्थित है । इस परिसंपत्ति के पश्चिम में गैंड होटल हैं, जो शिमला की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है और जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। बैंटनी से करीब 250 मीटर की दूरी पर प्रसिद्ध काली बाड़ी मंदिर स्थित है।

1.3 भूमि अर्जन का आकार और विशेषता

चयनित भूमि 3874-39 वर्ग मीटर (5-3) बीघा है जो खसरा नंबर 886, 887, 888,889, 890, 891, 892,893, 894, 895, 896, 897 और 898 में हैं।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन I

1.4 अनुकल्पों /विकल्पों पर विचार

हिमाचल प्रदेश के भाषा व संस्कृति विभाग के पत्रांक संख्या Bhasni-8/2013-Bantony Castle 7644 दिनांक 26.7.2016 के अनुसार शहर में कहीं भी वैकल्पिक स्थान नहीं है।

1.5 सामाजिक प्रभाव / समाघात

प्रस्तावित शहरी संग्रहालय परियोजना के लिए बैंटनी कैसल में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिए सामाजिक प्रभाव को इस तरह वर्गीकृत किया गया है:-

- (i) निर्माणपूर्व चरण के दौरान प्रभाव
- (ii) निर्माण के दौरान प्रभाव
- (iii) संचालन चरण के दौरान प्रभाव

कुछ प्रभाव जो परियोजना के साथ जुड़े होंगे निम्न तालिका में दिए गए हैं।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न विपरीत प्रभावों का शमन / दमन किया जा सके व सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाया जा सके। सामाजिक प्रभाव प्रबंधन उपायों को निर्माणपूर्व, निर्माण के दौरान व संचालन चरणों के दौरान विभिन्न चरणों में लागू करना होगा। निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान चिन्हित किए गए विभिन्न प्रभावों का विवरण तालिका 1 में दिया गया है:-

तालिका 1: परियोजना के विभिन्न चरणों पर सामाजिक प्रभाव आकलन

क्रम	निर्माणपूर्व	निर्माण	संचालन
1	भूअर्जन	धूल प्रदूषण	पर्यटन आकर्षण का सृजन
2	निर्मित संपत्ति (खस्ताहाल भवन) का अर्जन	ध्वनि प्रदूषण	हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक संरक्षण के लिए ज्ञान के केंद्र का सृजन
3		निर्माण के दौरान रोजगार	कूड़ा, शौचालय, सीवरेज और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन I

अर्जन से मुख्य तौर पर मालिक व उनके परिवार प्रभावित होंगे। ताजा भू दस्तावेजों के अनुसार इस संपत्ति के 13 मुख्य हितधारक हैं जिनमें से 10 के नाम जमाबंदी में दर्ज हैं जबकि तीन ने जिनमें संजय त्रेहन, राजेश सूद व मनू सूद ने संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर रखा है।

वर्तमान में बैटनी कैसल में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है और आजीविका के लिए किसी भी व्यक्ति की परोक्ष व अपरोक्ष रूप से इस संपत्ति पर निर्भरता नहीं पाई गई है। यह संपत्ति 4 से अधिक वर्षों से खाली है। सर्वेक्षण के विश्लेषण से पता चला है कि कुल उतर दाताओं में से 58% ने प्रस्तावित परियोजना के सन्दर्भ में सकारात्मक विचार प्रस्तुत किये हैं कि वह इसे शहर के लिए प्रासंगिक पाते हैं जो पर्यटकों वह स्थानीय निवासियों को आकर्षित करेगा। यह राज्य की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ स्थानीय व्यवसायों विशेष तौर पर पर्यटन संबंधित उद्योगों की आय में वृद्धि करेगा। हालाँकि कुल उतर दाताओं में 26% इस पक्ष में नहीं हैं। उन्हें लगता है कि यह राज्य संग्रहालय जो की चौड़ा मैदान में स्थित है की पुनरावृत्ति होगी। कुल उतर दाताओं में से 16% कोई भी राय नहीं रखते हैं।

कई उतरदाता इस प्रस्ताव में बच्चों वह बड़ों के लिए एक पब्लिक पार्क जोड़ने की राय रखते हैं जिससे यह शिमला शहर में अतिरिक्त आकर्षण और बड़ी आवश्यकता को पूरा करेंगे क्योंकि शिमला में इस तरह के सार्वजनिक स्थानों की कमी है। कुछ अन्य ने सुझाया है कि राज्य संग्रहालय को इस नयी जगह पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए जिससे मुख्य पर्यटन आकर्षण के सृजन के साथ साथ संग्रहालय की पुनरावृत्ति और उसके रख रखाव के खर्चों को टाला जा सके।

द्वितीय व संस्थानिक हितधारकों पर कोई भी विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

प्राथमिक हितधारकों के सर्वे व संवाद से पता चला है कि, अर्जन प्रक्रिया से उनकी सहमति की केवल एक शर्त है कि सरकार की ओर से पूरी बेंटनी एस्टेट को अधिग्रहित किया जाना चाहिए न कि इसके एक भाग को। उनकी दलील थी कि वर्तमान प्रस्तावित अर्जन में केवल संपत्ति के सबसे बेहतरीन भाग को ही अधिग्रहित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप मालिकों के लिए शेष भूमि का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि इसका अर्जन हो गया तो शेष भूमि के लिए पहुंच तक नहीं रहेगी।

परियोजना के संचालन के दौरान कुछ नकारात्मक प्रभाव/समाघात होंगे जैसे की कचरे, सीवेज, ठोस अवशिष्ट आदि का सृजन | हालाँकि परियोजना के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होंगे जैसे की पर्यटकों को आकर्षण और उससे स्थानीय आर्थिकी को बढ़ावा, निर्माण एवं संचालन चरण के दौरान रोजगार का सृजन, आस पास की संपत्ति की मूल्य में वृद्धि, ज्ञान मंच का सृजन और सांस्कृतिक संरक्षण ।

1.6 सामाजिक प्रभावों/समाघातों के शमन करने के उपाय

अधिनियम पर गौर करने व विश्लेषण करने के बाद यह लगता है कि सामाजिक मुद्दों के निपटारे के लिए भूअर्जन ,पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (RTFCTLARR Act), 2013 के तहत भूअर्जन के लिए मुआवजे के प्रावधान पर्याप्त होंगे। इसके अतिरिक्त अर्जन में पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास शामिल नहीं है इसलिए पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास (R&R) प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। परिणामस्वरूप R&R नीति के तहत कोई लाभ देने की आवश्यकता नहीं है।

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन I

तालिका 2: विभिन्न संभावित सामाजिक प्रभावों/समाघातों का विश्लेषण और उनके शमन हेतु प्रस्तावित उपाय

क्रम	प्रभाव के प्रकार	स्थिति	प्रस्तावित शमन करने के उपाय
1	जमीन का नुकसान	हां, जमीन का नुकसान होगा	RTFCTLARR Act, 2013 के मुताबिक मुआवजा
2	निर्मित संपत्ति का नुकसान	हां, हालांकि इमारतें बहुत बुरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, फिर भी उनका कुछ सांस्कृतिक व वास्तुत्मक महत्व हो सकता है।	RTFCTLARR Act, 2013 के मुताबिक मुआवजा
3	उत्पादन परिसंपत्तियों का नुकसान	नहीं	-
4	आजीविका का नुकसान	नहीं	-
5	जन उपयोगी लाइनों का नुकसान	नहीं	-
6	साझा संपत्ति संसाधनों का नुकसान	नहीं	-
7	जन सेवाओं के लिए पहुंच व साझा संपत्ति संसाधनों का नुकसान	नहीं	-
8	सांस्कृतिक संपत्ति का नुकसान	नहीं	-
9	कमजोर समूहों का विस्थापन	नहीं	-

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

इसके अतिरिक्त समाघात/प्रभावों के शमन हेतु निम्न उपायों पर विचार किया जा सकता है:

1. द्वितीय हितधारकों जिसमें होटल, टूर एंड ट्रेवल एजेंसियां, सम्बंधित क्षेत्र की व्यापारिक संस्थाएं, नागरिक संगठन/राजनैतिक/धार्मिक/स्वेच्छक संस्थाएँ/यूनियन/महिला समूह आदि के सर्वेक्षण के विश्लेषण से और पर्यटकों, स्थानीय निवासियों और प्राथमिक हितधारकों द्वारा उपलब्ध किये गए इनपुट के आधार पर सरकार, बजाय परियोजना के लिए पहले प्रस्तावित 3874.39 वर्ग मीटर के, बैटनी एस्टेट की सारी संपत्ति जो करीब 18,193 वर्ग मीटर हैं को अधिग्रहित करने का फैसला ले सकती है। क्योंकि एक बार मुख्य भाग के अर्जन हो जाने के बाद शेष भूमि का मालिकों को बहुत कम लाभ होगा ।
2. यदि सरकार पूरी एस्टेट को अधिग्रहित करने का निर्णय लेती है तो परिणाम स्वरूप अतिरिक्त भूमि होने पर म्यूजियम के प्रस्ताव के साथ एक पब्लिक पार्क भी शामिल किया जा सकता है, इससे दो जन उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। इस से म्यूजियम के लिए अधिक पर्यटक आकर्षित किए जा सकेंगे। इसके अलावा शिमला के स्थानीय लोगों व सैलानियों की ओर से यहां पर बार-बार भ्रमण किया जा सकेगा। क्योंकि शिमला में पब्लिक स्पेस जैसे पार्क आदि की भारी कमी है। सर्वे में पाया गया कि जनता म्यूजियम के साथ पार्क की भी इच्छुक है।
3. यदि सरकार मूल प्रस्तावित अर्जन जोकि 3874.39 वर्ग मीटर है का निर्णय लेती है तो परियोजना प्लानिंग एवं कार्यान्वयन के दौरान यह ध्यान रखा जाए की बची हुई संपत्ति के लिए उपयुक्त रास्ता छोड़ा जाए ।
4. यह सुझाव है कि वर्तमान राज्य म्यूजियम को इस नई लोकेशन पर लाया जा सकता है। जिससे उसे बहुत अधिक लाभ होगा । इसके अतिरिक्त सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा व दोहरी ढांचागत सुविधाएं खड़ी करने से बचा जा सकेगा चौड़ा मैदान में खाली रह जाने वाले म्यूजियम को, जिसे सक्षम अथारिटी उचित समझे, किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन I

5. निर्माण चरण के दौरान प्रदूषण स्तर को न्यूनतम रखने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए ।
6. संचालन चरण के दौरान होने वाले कचरा, सीवेज, ठोस अवशिष्ट आदि के उत्पन होने के समघतों का पर्याप्त शमन किया जाना चाहिये ।

1.7 सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण

परियोजना के कुछ सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव तालिका 3 में दिए गए हैं:-

तालिका 3: परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव

क्रम	सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव	टिप्पणियाँ
1	पर्यटनों का आकर्षण	भू अर्जन	यहां बताएं गए सभी प्रभावों को विभिन्न हितधारकों ने सर्वे के दौरान सुझाया। अगर परियोजना के नकारात्मक प्रभावों का शमन किया जाए तो प्रस्तावित परियोजना लोगों व राज्य को लाभ पहुंचाएंगी।
2	स्थानीय आर्थिकी में बढ़ोतरी	निर्मित इमारतों का नुकसान	
3	रोजगार में बढ़ोतरी	प्राथमिक हितधारकों के लिए बैंटनी एस्टेट की बाकी बच जाने वाली संपत्ति की कीमत में कमी	
4	ज्ञान मंच का सृजन	कचरा, शौचालय सीवेज, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन ।	
5	आसपास की संपत्ति की कीमत में बढ़ोतरी		
6	सांस्कृतिक संरक्षण		

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन I

2 लागत व मुनाफे का विश्लेषण व अर्जन पर सिफारिशें

2.1 अंतिम निष्कर्ष

बैंटनी कैसल में प्रस्तावित म्यूजियम RTFCTLARR Act, 2013 के तहत जनहित के उद्देश्य की परिभाषा के तहत आता है। प्रस्तावित संग्रहालय का उद्देश्य जो हिमाचल के ऐतिहासिक, भूगर्भीय, पुरातात्विक, अभिलेखीय, साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और जैव विविधताओं को प्रदर्शित करने जा रहा है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर संपत्तियों के संरक्षण व रखरखाव के अलावा समाज में जागरूकता पैदा करने मदद करेगा। अतः प्रस्तावित शहरी संग्रहालय शिमला शहर में एक पर्यटन का केंद्र के तौर पर विकसित होगा।

वर्तमान में, अधिग्रहित की जानेवाली जमीन पर कोई परिवार/ व्यक्ति नहीं रह रहा है और इस जमीन के टुकड़े पर आजीविका के लिए कोई भी किसी भी तरह से प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से निर्भर नहीं है। हालांकि 5 नवंबर 2016 को आयोजित की गई जन सुनवाई के दौरान प्राथमिक हितधारकों की ओर से आजीविका के बारे में आपत्तियां उठाई गईं। उनकी दलीलें थी कि 2011 तक वो हिमाचल प्रदेश सरकार से किराए के तौर पर आय कमा रहे थे और उस समय वहां पर कैंटीन भी चलाई जा रही थी उससे भी आय होती थी। वह ये भी दावा करते हैं कि शहर में ये प्रीमियम जगह होने की वजह से यहां पर आजीविका कमाने के पर्याप्त अवसर हैं, लेकिन इन मौकों को हर बार हिमाचल सरकार और खास कर एक राजनीतिक पार्टी की ओर से तबाह व रोक दिया गया।

हालांकि उपरोक्त आपत्तियां दर्शाती हैं कि अधिग्रहित की जाने वाली जमीन से मालिकों को आजीविका की संभावना थी लेकिन उपरोक्त में दर्शाए कारणों की वजह से ऐसा करने के योग्य नहीं थे। यहां यह जिक्र करना वाजिब है कि किए गए दावों को स्थापित नहीं किया जा सका। हालांकि अब से चार साल पहले तक परिवार के लिए यह संपत्ति प्राथमिक आजीविका का स्रोत नहीं था।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन I

पूर्व निर्माण चरण में मुख्य सामाजिक प्रभाव की पहचान जमीन के अधिग्रहण और निर्मित संपत्ति के अधिग्रहण जैसे जमीन पर मौजूदा ढांचे (हालांकि ये जर्जर हालात में हैं) के रूप में हुई हैं। इन प्रभावों के शमन के लिए भू अधिग्रहण के लिए RTFCTLARR Act, 2013 के तहत मुआवजे के प्रावधान काफी हैं।

चूंकि इस प्रोजेक्ट से ना तो कोई विस्थापन हुआ है और ना ही आजीविका का कोई नुकसान हुआ है। ऐसे में पुनर्वास व पुनर्स्थापन की जरूरत नहीं हैं। ऐसे में इसके लिए किसी भी तरह के शमन कदम उठाने की जरूरत पर विचार नहीं किया गया है। अतः यदि सरकार अधिग्रहण प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना चाहे तो मालिकों को RTFCTLARR एक्ट, 2013 के अंतर्गत पर्याप्त मुआवजा ऐसा कर सकती है।

इस अधिग्रहण की वजह से अन्य नकारात्मक प्रभाव जो उठ सकता है, वह प्राथमिक हितधारकों के लिए बेंटनी एस्टेट तक पहुंच व शेष हिस्से की कीमत में कमी आना है। जितने भी प्राथमिक हितधारक जिनसे साक्षात्कार किया गया था, ने दलीलें दी कि वर्तमान प्रस्तावित अधिग्रहण में केवल संपत्ति के सबसे बेहतर हिस्से का अधिग्रहण किया जा रहा है। परिणामस्वरूप शेष बची जमीन की मालिकों के लिए कोई ज्यादा कीमत नहीं रह जाएगी। इसके अलावा एक बार अधिग्रहण हो जाने के बाद शेष बची संपत्ति के लिए पहुंच नहीं रह जाएगी। उनकी ओर से मुख्य तौर पर यह शर्त रखी गई कि अधिग्रहण प्रक्रिया का इच्छा से पालन करने के लिए पूरी एस्टेट का अधिग्रहण किया जाना चाहिए न कि इसके एक हिस्से की।

इस प्रभाव के शमन के लिए सिफारिश की जाती है कि सरकार पूरी बेंटनी एस्टेट जोकि 18,193 वर्ग मीटर का अधिग्रहण कर सकती हैं न कि इसके एक हिस्से का जोकि 3874.39 है। अगर सरकार इस सिफारिश को मानने की जरूरत नहीं समझती हैं, तो शेष बची जमीन तक पहुंच सुनिश्चित करनी होंगी।

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन I

आम जनता के बीच सर्वे करते हुए और जन सुनवाई के दौरान प्राप्त हुए सुझावों में जनता की ओर ये आम सुझाव व अकांक्षा सामने आई कि इस प्रीमियम जगह पर पार्क होना चाहिए। इसलिए यदि सरकार पूरी एस्टेट को अधिगृहित करती है तो अतिरिक्त भूमि पर म्यूजियम के प्रस्ताव में पब्लिक पार्क शामिल किया जा सकता है जो कि दोनों सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा कर देगा। इससे म्यूजियम के लिए ज्यादा लोगों आकर्षित होंगे और शिमला के स्थानीय लोगों के अलावा सैलानी भी यहां बार - बार आएंगे।

जन सुनवाई के दौरान अन्य मुख्य आपति प्राथमिक हितधारकों व हिस्सेदारों की ओर से दर्ज की गई। मालिकों, जिनके नाम जमाबंदी में दर्ज हैं, ने बार- बार संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने वाले हित धारकों जैसे मनु सूद ,राजेश सूद और संजय त्रेहन जिनका जिक्र रिपोर्ट में हैं, के नाम शामिल करने पर आपतियां दर्ज की। हालांकि हितधारकों से भी आपतियां प्राप्त की गई जिसमें उन्होंने उद्धृत किया है कि “ एक सिविल केस हि० प्र० उच्च न्यायालय में केस न० CS CS/6/2015 (राजेश चिम्म बनाम चन्द्रपाल सूद) वर्तमान हितधारकों के विरुद्ध दायर किया गया है और माननीय नें उसमें उल्लिखित सम्पत्ति के बारे में “ Status Quo” का निर्णय पास किया है ।” (हिन्दी में अनुवादित)

हालांकि, सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के दायरे में जमीन के मालिकाना हक/स्वामित्व का निर्णय नहीं आता है ।

जन सुनवाई के दौरान आम जनता ने सरकार की ओर से की जा रही अधिग्रहण के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए आपतियां दर्ज कराई गई। यहां तक कि शिमला से भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज ने साक्षात्कार के दौरान प्रस्ताव के जन हित के बुनियादी उद्देश्य को ही चुनौती दे दी व दावा किया कि ये सारी प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित हैं। जनता की ओर से उठाई गई बाकी आपतियों में कहा गया कि मौजूदा अधिग्रहण प्रक्रिया से जन निधि की बेहद बर्बादी होगी जिसे वैकल्पिक तौर पर अन्य जन

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

मुददों और आधारभूत ढांचे की समस्याओं जैसे सड़कों व यातायात पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने प्रोजेक्ट की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठाए और जानना चाहा कि अधिग्रहण करने वाला विभाग नई संपत्ति का रखाव कैसे करेगा जबकि पहले से ही उसके पास जो संपत्ति थी उसका रख रखाव नहीं रखा जा सका ।

हालांकि सर्वेक्षण का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि :

- 58% ने प्रस्तावित परियोजना के सन्दर्भ में सकारात्मक विचार प्रस्तुत किये हैं कि वह इसे शहर के लिए प्रासंगिक पाते हैं जो पर्यटकों वह स्थानीय निवासियों को आकर्षित करेगा । यह राज्य की समृद्ध सरक्षण के साथ साथ स्थानीय व्यवसायों विशेष तौर पर पर्यटन संबंधित उद्योगों की आय में वृद्धि करेगा ।
- हालाँकि कुल उतर दाताओं में 26% इस पक्ष में नहीं है । उन्हें लगता है की यह राज्य संग्रहालय जो की चौड़ा मैदान में स्थित है की पुनरावृत्ति होगी । हालाँकि कुछ ने ये सुझाव दिया की मौजूदा राज्य संग्रहालय को इस नए स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है जिससे की पर्यटन के आकर्षण के साथ साथ संग्रहालय की पुनरावृत्ति और रख रखाव के खर्चों से बचा जा सकता है ।
- कुल उतर दाताओं में से 16% कोई भी राय नहीं रखते हैं ।
- कई उतरदाता इस प्रस्ताव में बच्चों वह बड़ों के लिए एक पब्लिक पार्क जोड़ने की राय रखते हैं जिससे यह शिमला शहर में अतिरिक्त आकर्षण और बड़ी आवश्यकता को पूरा करगे क्योंकि शिमला में इस तरह के सार्वजनिक स्थानों की कमी है ।

सामाजिक प्रभाव आकलन टीम ने जन सुनवाई के दौरान उठाई गई आपतियों/राय व सुझावों का मूल्यांकन किया और सर्वे के जरिए एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण कर निम्न निष्कर्ष पर पहुंची:-

1. यह सच है कि प्रस्तावित म्यूजियम से पर्यटन उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा और शिमला के लिए सैलानियों को आकर्षित करेगा चूंकि माल रोड़ पहले से ही मुख्य पर्यटन आकर्षणों में से एक हैं और ऐसे में यह म्यूजियम शहर के नक्शों में एक और आकर्षण को जोड़ देगा। प्रस्तावित

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन I

म्यूजियम लोगों को आकर्षित करेगा और और उससे स्थानीय कारोबारियों, ट्रेवल एजेंटों, गाइड व होटलों इत्यादि की आय में बढ़ोतरी होगी।

2. चौड़ा मैदान में स्थित स्टेट म्यूजियम सुनसान जगह पर हैं और इसलिए सैलानियों की यहां तक आसान पहुंच नहीं हैं। इसलिए मौजूदा स्टेट म्यूजियम को नई जगह के लिए स्थानांतरित करना म्यूजियम की पुनरावृत्ति उसके रखरखाव की लागत को टालेगी और स्टेट म्यूजियम के लिए बेहतर जगह मिलेगी।

निर्माण चरण के दौरान नकारात्मक प्रभाव जैसे धूल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण जैसे उठ सकते हैं। इन प्रभावों का शमन करने के लिए कुशल प्रोजेक्ट योजना, कार्यान्वयन और नियमित निरीक्षण की जरूरत होगी। इसका सकारात्मक प्रभाव भी होगा जैसे निर्माण चरण के दौरान रोजगार सृजन हागा।

परियोजना के संचालन के दौरान कुछ नकारात्मक प्रभाव/समाघात होंगे जैसे की कचरे, सीवेज, ठोस अवशिष्ट आदि का सृजन | हालाँकि परियोजना के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होंगे जैसे की पर्यटकों को आकर्षण और उससे स्थानीय आर्थिकी को बढ़ावा, निर्माण एवं संचालन चरण के दौरान रोजगार का सृजन, आस पास की संपत्ति की मूल्य में वृद्धि, ज्ञान मंच का सृजन और सांस्कृतिक संरक्षण |

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

सुझाव

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सुझाव निम्न है :

1. द्वितीय हितधारकों जिसमे होटल, टूर एंड ट्रेवल एजेंसियां, सम्बंधित क्षेत्र की व्यापारिक संस्थाएं, नागरिक संगठन/राजनैतिक/धार्मिक/स्वेच्छिक संस्थाएँ/यूनियन/महिला समूह आदि के सर्वेक्षण के विश्लेषण से और पर्यटकों, स्थानीय निवासियों और प्राथमिक हितधारकों द्वारा उपलब्ध किये गए इनपुट के आधार पर सरकार, बजाय परियोजना के लिए पहले प्रस्तावित 3874.39 वर्ग मीटर के, बेंटनी एस्टेट की सारी संपत्ति जो करीब 18,193 वर्ग मीटर हैं को अधिग्रहित करने का फैसला ले सकती है। क्योंकि एक बार मुख्य भाग के अर्जन हो जाने के बाद शेष भूमि का मालिकों को बहुत कम लाभ होगा । इसके पहल्वस्वरूप अतिरिक्त जमीन होने पर म्यूजियम के प्रस्ताव के साथ एक प्राइम पब्लिक पार्क भी शामिल किया जा सकता हैं ।
2. यदि सरकार सुझाव न. 1 को स्वीकार नहीं करती है और वर्तमान में प्रस्तावित 3874.39 वर्ग मीटर की भूमि की ज़रूरत के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेती है तो परियोजना बनाने, कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान शेष भूमि के लिए उपयुक्त पहुँच प्रदान करने पे ध्यान दिया जा सकता है ।
3. संग्रहालय व उसके परिसर को डिज़ाइन करते समय पर बंटनी कैसल की स्थापत्य विरासत व सांस्कृतिक प्रचुरता को खास ध्यान दिया जा सकता है और प्रस्तावित परियोजना का मिलान साथ लगते ग्रैंड होटल की वास्तुकला से मिलता हो ।

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन I

3. सामाजिक प्रभाव/ समाघात प्रबंध योजना

3.1 सामाजिक प्रभाव / समाघात शमन के लिए दृष्टिकोण

यह सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP) हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) (HP RFCTLARR) नियम, 2015 के तहत बैटनी कैसली काली बाड़ी शिमला के अर्जन के नकारात्मक प्रभावों का शमन करने की तैयार की गई हैं। सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना में शमन, निगरानी और संस्थानिक कदमों का एक सेट होता है जो परियोजना के डिजाइन, निर्माण और संचालन चरण के दौरान विपरीत सामाजिक प्रभावों को समाप्त करने या स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए होता है। SIMP का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि विभिन्न विपरीत प्रभावों का शमन हो गया और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ा दिया गया। SIMP को परियोजना के विभिन्न चरणों जैसे निर्माण पूर्व चरण, निर्माण चरण और संचालन के दौरान लागू करना होगा। परियोजना के अलग-अलग चरणों के दौरान सुझाए विभिन्न प्रबंधन कदमों का विवरण तालिका 2 में दिया गया है।

3.2 समाघात/ प्रभावों को टालने शमन करने व प्रतिपूर्ति के लिए कदम

1. द्वितीय हितधारकों जिसमें होटल, टूर एंड ट्रेवल एजेंसियां, सम्बंधित क्षेत्र की व्यापारिक संस्थाएं, नागरिक संगठन/राजनैतिक/धार्मिक/स्वेच्छिक संस्थाएँ/यूनियन/महिला समूह आदि के सर्वेक्षण के विश्लेषण से और पर्यटकों, स्थानीय निवासियों और प्राथमिक हितधारकों द्वारा उपलब्ध किये गए इनपुट के आधार पर सरकार, बजाय परियोजना के लिए पहले प्रस्तावित 3874.39 वर्ग मीटर के, बैटनी एस्टेट की सारी संपत्ति जो करीब 18,193 वर्ग मीटर हैं को अधिग्रहित करने का फैसला ले सकती है। क्योंकि एक बार मुख्य भाग के अर्जन हो जाने के बाद शेष भूमि का मालिकों को बहुत कम लाभ होगा ।
2. यदि सरकार पूरी एस्टेट को अधिग्रहित करने का निर्णय लेती है तो परिणाम स्वरूप अतिरिक्त भूमि होने पर म्यूजियम के प्रस्ताव के साथ एक पब्लिक पार्क भी शामिल किया

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन I

जा सकता हैं, इससे दो जन उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। इस से म्यूजियम के लिए अधिक पर्यटक आकर्षित किए जा सकेंगे। इसके अलावा शिमला के स्थानीय लोगों व सैलानियों की ओर से यहां पर बार-बार भ्रमण किया जा सकेगा। क्योंकि शिमला में पब्लिक स्पेस जैसे पार्को आदि की भारी कमी है। सर्वे में पाया गया कि जनता म्यूजियम के साथ पार्क की भी इच्छुक है।

3. भू अर्जन और निर्मित भवन की हानि के प्रभाव के शमन हेतु RTFCTLARR Act 2013 के तहत भूअर्जन के लिए मुआवजे के प्रावधान पर्याप्त होंगे ।
4. यदि सरकार मूल प्रस्तावित अर्जन जोकि 3874.39 वर्ग मीटर है का निर्णय लेती है तो परियोजना प्लानिंग एवं कार्यान्वयन के दौरान यह ध्यान रखा जाए की बची हुई सम्पत्ति के लिए उपयुक्त रास्ता छोड़ा जाए ।
5. यह सुझाव है कि वर्तमान राज्य म्यूजियम को इस नई लोकेशन पर लाया जा सकता है। जिससे उसे बहुत अधिक लाभ होगा । इसके अतिरिक्त सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा व दोहरी ढांचागत सुविधाएं खड़ी करने से बचा जा सकेगा चौड़ा मैदान में खाली रह जाने वाले म्यूजियम को, जिसे सक्षम अथारिटी उचित समझे, किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
6. निर्माण चरण के दौरान प्रदुषण स्तर को न्यूनतम रखने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए ।
7. संचालन चरण के दौरान होने वाले कचरा, सीवेज, ठोस अवशिष्ट आदि के उत्पन होने के समघतों का पर्याप्त शमन किया जाना चाहिये ।

पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास शमन कदम

चूंकि 4 सालों से अधिक समय से बैटनी एस्टेट परिसर में कोई नहीं रह रहा हैं और न ही कोई परोक्ष व अपरोक्ष रूप इस संपत्ति पर आजीविका के निर्भर पाया गया हैं इसलिए पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास कदमों को उठाने की कोई जरूरत नहीं हैं ।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन I

पर्यावरण व सांस्कृतिक कदम

- अर्जन के प्रस्तावित भूमि पर कोई पेड़ नहीं हैं। फिर भी यह सुझाव दिया जाता है कि म्यूजियम परिसर के लिए प्रस्तावित लैंडस्कैप डिजाइन शिमला के प्राकृतिक हरे पर्यावरण और आसपास के पर्यावरण के साथ मेल खाने वाला होना चाहिए।
- बेंटनी कैसल व बेंटनी काटेज दोनों हालांकि जर्जर स्थिति में हैं लेकिन फिर भी ब्रिटिश राज से इनका वास्तुकला को लेकर महत्व है, जो शिमला के इतिहास की एक झलक हैं। इसलिए सुझाव है कि म्यूजियम व इसके परिसर को वर्तमान बेंटनी कैसल / ब्रिटिश वास्तुकला के समान वास्तु पैटर्न पर डिजाइन किया जाए।

3.3 परियोजना प्रस्ताव में रिक्वायरिंग बॉडी की ओर से बताए गए कदम

परियोजना प्रस्ताव में अर्जन करने वाली संस्था/ विभाग की ओर से कोई शमन या प्रबंधन या कोई और कदम नहीं बताया गया है।

3.4 सांस्थनिक ढांचा व मुख्य व्यक्ति

चूंकि अर्जन से मुख्य शमन कदम RTFCTLARR, 2013 के तहत उचित मुआवजा देकर हैंडल किया जा सकता है इसलिए मुआवजे का फैसला लेने व देने के लिए मुख्य व्यक्ति कलेक्टर जिम्मेदार होगा। अधिनियम कलेक्टर को राजस्व जिला के कलेक्टर के रूप में परिभाषित करता है और जिला उपायुक्त या कोई अन्य अधिकारी जिसे खास तौर पर सरकार की ओर बतौर कलेक्टर का काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

राजस्व व भू दस्तावेज विभाग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भू स्वामित्व, भू पैमाइश तय करने में सबसे ज्यादा सक्षम है और बाजार कीमत तय करने में कलेक्टर की मदद करता है। चूंकि कोई R&R शामिल नहीं इसलिए इस तरह की अथारिटी की जरूरत नहीं है।